न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 162/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सलेजन खातून ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

मकबुल अंसारी एवं अन्य ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24

प्रथम पक्ष के आवेदन तथा अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 14.10.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया।

मौजा- खरखरो, थाना नं0- 107,
खाता नं0- 9, प्लॉट नं0- 831, रकबा- 20 डी0
चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- पुना मियाँ, पू0- भिखारी मियाँ, प0- पुना मियाँ

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है तथा खतियान पुना मियाँ के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल बगोदर के पंजी-II में कायम है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक नजरी नक्शा, खतियान की सत्यापित प्रति दाखिल करते हैं।

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष के अनुसार Minor survey के दौरान खाता नं0- 09, प्लॉट नं0- 831 बदल गया है तथा वर्तमान में खाता नं0- 111, प्लॉट नं0- 1520, रकबा- 35 डी0 तथा प्लॉट नं0- 1521, रकबा- 1 डी0 कुल 36 डी0 जमीन विपक्षी द्वितीय पक्ष के पिता मुंशी मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा उक्त भूमि का जमाबन्दी मौजा खरखरो अंचल बगोदर के मांग पंजी-II के पृष्ठ सं0- 112, भोलुम नं0- 01 पर दर्ज है तथा लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में

खतियान की प्रति, ऑफलाइन रजिस्टर-II की छायाप्रति, ऑनलाईन पंजी-II की छायाप्रति, एक ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, एक ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते है।

प्रथम पक्ष पुन: एक कारण पृच्छा दाखिल कर बताते हैं कि द्वितीय पक्ष के पिता को पुराना प्लॉट नं0- 831 नया प्लॉट नं0- 1520 में मात्र 32 डी0 जमीन ही बिक्री केवाला द्वारा प्राप्त है परन्तु उनके द्वारा गलत ढंग से प्लॉट 1520 में 32 तथा प्लॉट 1521 में 1 डी0 कुल 33 डी0 के बजाए 36 डी0 चढ़वा लिया गया है।

अंचल अधिकारी बगोदर का भी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

उपरोक्त सभी कागजात तथा प्रतिवेदनों के विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि एक ही भू-खण्ड पर दोनों पक्ष सर्वे खतियान तथा हाल सर्वे के आधार पर अपना-अपना दावा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा मिनी सर्वे / हाल सर्वे में कायम द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी को चुनौती दी जा रही है तथा वास्तविक रूप से भूमि पर स्वयं का दखल-कब्जा बतलाया जा रहा है। सर्वे अंतिमीकरण के पश्चात् संशोधन के बिन्दु पर अथवा स्वत्व के बिन्दु पर कोई निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी सक्षम न्यायालय नहीं है ना तो भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत इस पर कोई विवेचन किया जा सकता है। अत: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम निर्णय किसी पक्षकार के पक्ष में या विरूद्ध पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। प्रथम पक्ष चाहे तो वाद के निदान हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 12:41:17 +05:30
Location: 192.168.1.2